

न्यायालय:-मधुसूदन जंघेल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

आप. प्रक. क.-242 / 2014
संस्थित दिनांक 28.03.2014
फाइलिंग नं.-234503000612014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, परसवाड़ा

जिला बालाघाट (म.प्र.)

-----अभियोजन

// विरुद्ध //

- 1.मिनेश कुमार उर्फ सुरेश कुमार पिता भीकाजी पंवार, उम्र-25 वर्ष
- 2.श्यामकुमार उर्फ श्यामलाल पिता भीकाजी पंवार, उम्र-33 वर्ष
- 3.रामप्रसाद हरिनखेड़े पिता भीकाजी पंवार, उम्र-34 वर्ष
- 4.जयप्रकाश उर्फ प्रमोद पिता शंकरलाल हरिनखेड़े, जाति पंवार, उम्र-19 वर्ष
- 5.तीजूलाल पिता भीकाजी पंवार, उम्र-27 वर्ष, सभी निवासी ग्राम ठेमा थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट (म.प्र.)

-----आरोपी

--:: निर्णय ::--

(दिनांक 20 / 04 / 2018 को घोषित किया गया)

01:- उपरोक्त नामांकित आरोपीगण पर दिनांक 14.02.2010 को समय सुबह करीब 8:00 बजे अंतर्गत ग्राम ढिपुर जंगल रास्ता थाना परसवाड़ा में विधि-विरुद्ध जमाव के सदस्य होकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विजय गौतम वनरक्षक लोकसेवक के लोक कर्तव्य के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा डालने, उक्त लोकसेवक को लोकसेवक की हैसियत से कर्तव्य निर्वहन करने से प्रविरत रहने के आशय से धमकी देने, उक्त लोकसेवक विजय गौतम को लोकसेवक के पदीय हैसियत के निर्वहन के दौरान उसके कर्तव्य से निवारित करने के आशय से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित करने तथा शासकीय संपत्ति रेत को चुराने का प्रयत्न करने, इस प्रकार धारा-186 / 149, 189 / 149, 332, 379 / 511 भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप तथा उक्त आरोपों

के अलावा आरोपी मिनेश पर वाहन ट्रेक्टर ट्राली नंबर आई.पी.वाय.5038डी.ई.डी.ए. 007627 एवं इंजन नंबर पी.वाय.3029डी338781 को बिना रजिस्ट्रेशन के चालन करने, इस प्रकार धारा-39/192 मो.व्ही. एक्ट का अतिरिक्त आरोप है।

02:— प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दिनांक 19.04.2018 को आरोपीगण एवं फरियादीगण के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपीगण को धारा-147, 294 भा0दं0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया गया। शेष धाराओं पर विचारण किया गया।

03:— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि घटना दिनांक 14.02.2014 को फरियादी विजय गौतम सुबह 8:00 बजे सुरक्षा श्रमिक राजकुमार के साथ सुरक्षा भ्रमण पर था। फरियादी भ्रमण करते हुए कक्ष क्रमांक 1448 से 1450 की ओर जा रहा था। फरियादी के साथ सुरक्षा श्रमिक राजकुमार भी था। गश्ती के दौरान ट्रेक्टर की आवाज सुनने पर फरियादी सुरक्षा श्रमिक के साथ आवाज की दिशा में जाने लगे, तब रास्ते में हरे रंग का जान डियर ट्रेक्टर सहित आरोपी मिनेश मिला। आरोपी मिनेश ने ट्रेक्टर से रेत खाली कर दिया। रेत जप्त करने के पूर्व ही आरोपी मिनेश रामप्रसाद, तीजूलाल, श्यामकुमार, प्रमोद, जयप्रकाश को बुला लिया और मौके पर फरियादी को पकड़कर खींचतान कर गाली-गलौच करने लगे, जिससे फरियादी की वर्दी फट गई। आरोपीगण घटनास्थल से भाग गये, जिसके उपरांत फरियादी ने घटना की लिखित रिपोर्ट थाना परसवाड़ा में दिया, जिसके आधार पर थाना परसवाड़ा में प्रथम सूचना रिपोर्ट अप0 कं0-30/14 धारा-147, 183, 186, 189, 353, 379/511, 506 भा.दं.वि. का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। आहतगण का मेडिकल परीक्षण कराया गया। घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया एवं आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04:— आरोपीगण ने अपने अभिवाक् में आरोपित अपराध करने से अस्वीकार किये हैं। साक्ष्य के दौरान आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं कराया गया है।

05:—प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि:—

01. क्या आरोपीगण ने दिनांक 14.02.2010 को समय सुबह करीब 8:00 बजे अंतर्गत ग्राम ढिपुर जंगल रास्ता थाना परसवाड़ा में विधि-विरुद्ध जमाव के सदस्य होकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विजय गौतम वनरक्षक लोकसेवक के लोक कर्तव्य के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा डाला ?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त लोकसेवक को लोकसेवक की हैसियत से कर्तव्य निर्वहन करने से प्रविरत रहने के आशय से धमकी दिया ?
3. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त लोकसेवक विजय गौतम को लोकसेवक के पदीय हैसियत के निर्वहन के दौरान उसके कर्तव्य से निवारित करने के आशय से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?
4. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होकर उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में शासकीय संपत्ति रेत को चोरी का करने का प्रयत्न किया ?
5. क्या आरोपी मिनेश ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर वाहन ट्रैक्टर ट्राली नंबर आई.पी.वाय.5038 डी.ई.डी.ए.007627 एवं इंजन नंबर पी.वाय. 3029 डी338781 को बिना रजिस्ट्रेशन के चालन किया ?

::— निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक—01 से 04

06:— विजय गौतम(अ.सा.—01) ने बताया है कि वह आरोपीगण मिनेश, रामप्रसाद, श्यामकुमार, जयप्रकाश आदि लोगों को जानता है। सुरक्षा श्रमिक

राजकुमार को भी जानता है। घटना दिनांक 14.02.2014 को सुबह 8:00 बजे की है। घटना के समय वह वन कक्ष क्रमांक 1448 से गश्त करते हुए 1450 की ओर जा रहा था, उसके साथ सुरक्षा श्रमिक राजकुमार भी था। रास्ते में ट्रैक्टर की आवाज आने पर वे लोग उस तरफ गये, जहाँ पर आरोपीगण थे। वन परिक्षेत्र में ट्रैक्टर ले जाने की बात को लेकर आरोपीगण से कहा सुनी हुई थी, तब उसने उसके संबंध में लिखित रिपोर्ट प्र.पी.01 थाना परसवाड़ा में दिया था। पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 पंजीबद्ध किया था। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.03 तैयार किया था और उससे वर्दी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.04 तैयार किया था। पुलिस ने घटना के संबंध में उसका बयान दर्ज किया था।

07:— विजय गौतम(अ.सा.-01) को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि वह और राजकुमार घटनास्थल पर गये तो आरोपीगण ने ट्रैक्टर से रेत खाली कर दिया, इससे भी इंकार किया है कि जप्ती कार्यवाही के पूर्व आरोपी रामप्रसाद, तीजूलाल, श्यामकुमार, प्रमोद और प्रकाश ने उसके साथ पकड़कर खींचतान किया, जिससे उसकी वर्दी फट गई, इससे भी इंकार किया है कि आरोपीगण वन परिक्षेत्र से रेत चोरी करने का प्रयास कर रहे थे, इससे भी इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ था। इस साक्षी ने इससे भी इंकार किया है कि उसने लिखित रिपोर्ट प्र.पी.01, पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.02 तथा पुलिस कथन प्र. पी.05 में आरोपीगण द्वारा रेत चोरी का प्रयास करने, मारपीट गाली-गलौच करने, वर्दी फाड़ने, शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने की बात लेखबद्ध कराया था। यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण से स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव व लालच के राजीनामा कर लिया, किन्तु इससे इंकार किया है कि राजीनामा होने के कारण वह सही बात नहीं बता रहा है। इस प्रकार स्वयं फरियादी विजय गौतम ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

08:— राजकुमार(अ.सा.—02) ने बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना दिनांक 14.02.2014 को सुबह 8:00 बजे की है। घटना के समय वह विजय गौतम के साथ वन बीट क्रमांक 1448 में गश्त करते हुए 1450 की ओर जा रहे थे। रास्ते में ट्रेक्टर की आवाज आने पर वे लोग उस तरफ गये, जहाँ पर आरोपीगण वन परिक्षेत्र में ट्रेक्टर ले जाने की बात को लेकर आरोपीगण से कहा—सुनी हुई थी, तब विजय ने उसके संबंध में थाना परसवाड़ा में लिखित रिपोर्ट प्र.पी.01 दिया था। पुलिस ने घटना के संबंध में उसके बयान लेखबद्ध किया था।

09:— राजकुमार (अ.सा.—02) को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि वह और विजय गौतम घटनास्थल पर गये तो आरोपीगण ने ट्रेक्टर से रेत खाली कर दिया, इससे भी इंकार किया है कि जप्ती कार्यवाही के पूर्व आरोपी रामप्रसाद, तीजूलाल, श्यामकुमार, प्रमोद और प्रकाश ने विजय गौतम के साथ उसे पकड़कर खींचतान किया, जिससे उसकी वर्दी फट गई, इससे भी इंकार किया है कि आरोपीगण वन परिक्षेत्र से रेत चोरी करने का प्रयास कर रहे थे, इससे भी इंकार किया है कि आरोपीगण ने उनके साथ मारपीट की, जिससे उनके शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ था। इस साक्षी ने इससे भी इंकार किया है कि उसने पुलिस कथन प्र.पी.06 में आरोपीगण द्वारा रेत चोरी का प्रयास करने, मारपीट गाली—गलौच करने, वर्दी फाड़ने, शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने की बात लेखबद्ध कराया था। यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण से स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव व लालच के राजीनामा कर लिया, किन्तु इससे इंकार किया है कि राजीनामा होने के कारण वह सही बात नहीं बता रहा है। इस प्रकार स्वयं फरियादी विजय गौतम ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपीगण को जंगल में रेत खाली करते नहीं देखा था। रेत ले जाते हुए भी नहीं देखा था। इस प्रकार घटना के समय उपस्थित इस महत्वपूर्ण साक्षी ने भी अभियोजन के

मामले का समर्थन नहीं किया है।

10:— इस प्रकार स्वयं फरियादी विजय गौतम(अ.सा.-01) ने आरोपीगण द्वारा रेत चोरी, मारपीट करने, शायकीय कर्तव्य के निर्वहन से भयोपारित करने के आशय से मारपीट व धमकी देने की घटना तथा वर्दी फाड़ने की घटना से इंकार किया है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर भी साक्षी विजय गौतम ने अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है। इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण से उसका राजीनामा हो गया है, किंतु इससे इंकार किया है कि राजीनामा होने के कारण वह न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है। स्वतंत्र साक्षी राजकुमार (अ.सा.-02) ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। फरियादी विजय गौतम द्वारा आरोपीगण से राजीनामा कर लिये जाने एवं अभियोजन के मामले के समर्थन नहीं किये जाने से अभियोजन ने अपने शेष अन्य साक्षियों का परीक्षण नहीं कराया है। फलतः उपरोक्त संपूर्ण परिस्थितियों में अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत सूरजमल बनाम स्टेट (देहली एडमिनीस्ट्रेशन) ए.आई.आर. 1979 सु.को. 1408 एवं हीरालाल बनाम स्टेट आफ एम.पी. 2010 (2) म. प्र. वी.नो. 79 म.प्र.:- अवलोकनीय है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-05

11:— आरोपी मिनेश पर उक्त दिनांक समय व स्थान पर वाहन ट्रेक्टर द्राली नंबर आई.पी.वाय.5038डी.ई.डी.ए.007627 एवं इंजन नंबर पी.वाय. 3029डी338781 को बिना रजिस्ट्रेशन के चालन करने का भी आरोप है। प्रकरण में उक्त वाहन को विवेचना के दौरान जप्त किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-106 के अनुसार जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में हो, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है। घटना के समय वाहन का रजिस्ट्रेशन था या नहीं इस तथ्य को आरोपी मिनेश ही प्रकट कर सकता था, किन्तु उसके द्वारा वाहन के पंजीयन के संबंध में विवेचना के दौरान कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही आरोप

विरचित किये जाने या बचाव के दौरान दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिससे बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन ट्रैक्टर चलाये जाना प्रमाणित है।

12:— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 14.02.2010 को समय सुबह करीब 8:00 बजे अंतर्गत ग्राम ढिपुर जंगल रास्ता थाना परसवाड़ा में विधि-विरुद्ध जमाव के सदस्य होकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विजय गौतम वनरक्षक लोकसेवक के लोक कर्त्तव्य के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा डाला, उक्त लोकसेवक को लोकसेवक की हैसियत से कर्त्तव्य निर्वहन करने से प्रविरत रहने के आशय से धमकी दिया, उक्त लोकसेवक विजय गौतम को लोकसेवक के पदीय हैसियत के निर्वहन के दौरान उसके कर्त्तव्य से निवारित करने के आशय से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया तथा शासकीय संपत्ति रेत को चुराने का प्रयत्न किया। फलतः आरोपीगण को धारा-186/149, 189/149, 332, 379/511 भा.दं.वि. के आरोप से दोषमुक्त किया जाकर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है, किन्तु घटना के समय आरोपी मिनेश के द्वारा जप्तशुदा वाहन ट्रैक्टर ट्राली नंबर आई. पी.वाय.5038डी.ई.डी.ए.007627 एवं इंजन नंबर पी.वाय.3029डी338781 को बिना रजिस्ट्रेशन के चालन किया जाना प्रमाणित है। फलतः आरोपी मिनेश को धारा-39/192 मो.व्ही. एक्ट के अंतर्गत सिद्धदोष पाया जाकर दोषसिद्ध ठहराया जाता है। आरोपी मिनेश के पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य नहीं है। फलतः आरोपी मिनेश को धारा-39/192 मो.व्ही. एक्ट के अपराध के आरोप में न्यायालय अवधि अवसान तक के कारावास एवं 2,000/—(दो हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर **15 दिवस** का साधारण कारावास भुगताये जाने से दण्डित किया जावे।

13:— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14:— आरोपीगण जिस कालावधि के लिए जेल में रहे हो उस विषय में एक विवरण धारा-428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग

होगा। निरोध की अवधि मूल कारावास की सजा में मात्र मुजरा हो सकेगी। आरोपीगण की पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि निरंक है।

15:— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति वाहन ट्रैक्टर ट्राली नंबर आई.पी.वाय. 5038डी.ई.डी.ए.007627 एवं इंजन नंबर पी.वाय.3029डी338781 आवेदक रामप्रसाद पिता भीकाजी हरिनखेड़े की सुपुर्दगी पर है। अपील अवधि पश्चात अपील न होने पर उक्त सुपुर्दनामा सुपुर्दगीदार के पक्ष में उन्मोचित किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

“मेरे निर्देश पर टंकित किया”

सही /—
(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही /—
(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)